न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 16/2017

जीसीएमएस नम्बर : 2017/00096

प्रार्थी:–

1. सुकली पत्नी तेजाराम जाति जणवा निवासी निपल तहसील रानी जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. असकी देवी पुत्री लालजी जाति जणवा चौधरी निवासी निपल तहसील रानी जिला पाली
2. ग्राम पंचायत नीपल तहसील रानी जिला पाली
3. नारायण सिंह पुत्र उदय सिंह जाति राजपुत निवासी गुड़ा केशरसिंह तहसील रानी जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पवन सिंघल।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक : 20/11/2024

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती, राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत नीपल द्वारा मिसल क्रमांक 3/14–15, प्रस्ताव क्रमांक 4 दिनांक 30.10.2014 की पालना में जारी पट्टा संख्या 49 दिनांक 30.10.2014 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम निपल में जेठाराम व उसके भाई घीसाराम, चुनाराम, खंगाराराम पुत्रगण लालाराम का पुस्तैनी थाला स्थित था, जिसमें 1/4 हिस्सा बनाम 21 x 45 जेठाराम के हिस्से में आया, जिस पर जेठाराम का पुस्तैनी मकान बना हुआ है। उक्त भूमि पर बने मकान का जेठाराम ने अपने पुत्र सवाराम को दिनांक 21.11.2012 को बेचान कर दिया। सवाराम ने अपने पिता व भाईयों की सहमति से उक्त मकान का बेचान प्रार्थीया के पक्ष में दिनांक 04.12.2012 को कर दिया एवं उक्त मकान का वास्तविक भौतिक कब्जा प्रार्थीया को सुपुर्द कर दिया, जिसके पड़ौस उत्तर दिशा में आम रास्ता व दरवाजा, दक्षिण दिशा में घीसाराम के बंट का मकान, पूर्व दिशा में खंगाराराम के बंट एवं प्रहलादसिंह का मकान तथा पश्चिम दिशा में आम रास्ता व मकान स्थित है। प्रार्थीया द्वारा उपरोक्त खरीद सुदा पुस्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत निपल में दिनांक 13.02.2013 को प्रार्थना पत्र मय शुल्क के प्रस्तुत किया गया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 110/2012–13 कायम की गई।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

तत्पश्चात् सवाराम के पिता एवं उसके भाईयों द्वारा प्रार्थीया को बेचे गये भूखण्ड मकान से उसे वंचित करने की बदनियति से जैर भूखण्ड मकान का सवाराम की भुआ एवं जेठाराम की बहन अप्रार्थी संख्या 1 असकी देवी का कब्जा बताते हुये अप्रार्थी सख्या 1 के नाम से पट्टा जारी करवाने हेतु दिनांक 27.06.2014 को प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 की उम्र लगभग 60 वर्ष है तथा उसका विवाह लगभग 40 पूर्व हो चुका है एवं विवाह के पश्चात से वह अपने ससुराल गांव केसूली तहसील देसूरी में रहती आयी है, जिसके सम्बन्ध में ग्राम केसूली के राशन कार्ड एवं मतदाता सूची में अप्रार्थी संख्या 1 का नाम भी अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि विवाह के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 का जैर आराजी मकान पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थाना पत्र के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा तीन पंचों को मौका निरीक्षंण करने एवं नक्शा बनाने के आदेश दिये गये किन्तु तीन पंचों को मनोनीत ही नहीं किया गया। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में समस्त बैठक कार्यवाही में मिसल संख्या 3/14–15 के साथ साथ प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कायम मिसल संख्या 110/12–13 का भी उल्लेख किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यवाही प्रार्थीया के पक्ष में कायम मिसल में की गयी जिस बाबत् प्रार्थीया के पक्ष में पट्टा जारी करने का अस्थाई निर्णय लिया जाकर प्रार्थीया से राशि प्राप्त कर उसके पक्ष में दिनांक 30.10.2014 को पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसकी पालना में प्रार्थीया के पक्ष में पट्टा संख्या 24 जारी भी किया गया किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा बदनियति पूर्वक उक्त पट्टे में कांट छांट कर प्रार्थीया को उपलब्ध ही नहीं करवाया गया। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में प्रार्थीया ने सर्तकता में भी शिकायत दर्ज करवायी उसमें भी जैर निगरानी भूखण्ड मकान पर प्रार्थीया का कब्जा बताया है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 01.08.2023 को घीसाराम पुत्र लालाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 43 के पड़ौस उत्तर दिशा में सुकली पत्नी तेजाराम अंकित है, जो भी जैर निगरानी भूखण्ड मकान पर प्रार्थीया के कब्जे का समर्थन करता है। जैर निगरानी पट्टे का बेचाण अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में होने से उक्त विक्रय विलेख को निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट देसूरी में एक वाद विचाराधीन है उसमें प्रस्तुत मौका कमिश्नर रिपोर्ट में भी जैर निगरानी भूखण्ड मकान के ताले प्रार्थीया द्वारा खोले जाना बताया गया, जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि उक्त आराजी पर प्रार्थीया का कब्जा है। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी भूखण्ड मकान पर अप्रार्थी संख्या 1 का कोई कब्जा नहीं होने के उपरान्त भी जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो विधिविरूद्ध है। अतः उक्त निगरानी याचिका स्वीकार फरमाकर जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि गांव नीपल में अप्रार्थी संख्या 1 के पिता लालाराम का पुस्तैनी थाला था तथा लालाराम की मृत्यु के पश्चात उनके चार पुत्रों जेठाराम, घीसाराम, चुनाराम, खंगाराराम व उसकी पुत्री अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने पिता की सम्पति का मौखिक बंटवाड़ा किया जो प्रत्येक के हिस्से में 18 फीट बाई 45 फीट थे। अपने पुश्तैनी मकान का अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत में विधि अनुसार आवेदन किया जिस पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के चारों भाईयों ने जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित करने हेतु सहमति जाहिर की। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत बेचाणनामा दिनांक 21.11.2012 एवं सहमति पत्र दिनांक 10.12.2012 के खण्डन में अप्रार्थी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

संख्या 1 के भाई जेठाराम, खंगाराराम व घीसाराम ने जैर निगरानी याचिका में दिनांक 16.05.2022 को शपथ पत्र पेश किया है एव इन पर अपने अंगुष्ठ निशान से इंकार किया है। प्रार्थीया ने जैर निगरानी भूखण्ड पर बने मकान की साफ सफाई एवं मरम्मत कार्यवाही करना बताया है जिसके खण्डन में ग्राम नीपल के निवासीयों द्वारा जैर निगरानी में दिनांक 16.05.2022 को शपथ पत्र पेश किये है, जो अप्रार्थीया के कथनों का समर्थन करते है। प्रार्थीया ने वादग्रस्त मकान को अपना खरीदशुदा, पुश्तैनी मकान होना बताया हैं जो कि बिल्कुल विपरीत है। खरीदसुदा मकान पुस्तैनी नहीं हो सकता यदि पुश्तैनी है तो खरीद कैसे लिया, इससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीया ने गलत व झुठे आधारों पर जैर निगरानी पेश की है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.02.2013 पर जो मिसल संख्या 110/2012–13 कायम होना बताया है वह वादग्रस्त पट्टा वाले मकान की न होकर किसी अन्य जगह की है। अधिवक्ता प्रार्थीया ने कथन किया अप्रार्थी संख्या 1 का विवाह 50 वर्ष पूर्व हो चुका है और वह अपने ससुराल केसुली में निवासरत है तो जैर निगरानी भूखण्ड पर बने मकान पर उनका कब्जा नहीं हो सकता है। ऐसा कथन बिल्कुल भी गलत है क्योंकि एक व्यक्ति एक समय में एक जगह पर रहता है परन्तु उसके कई मकान हो सकते है, जिन पर उस व्यक्ति का कब्जा हो सकता है। प्रार्थी द्वारा सर्तकता शाखा में जो रिपोर्ट पेश की गयी है, उसमें की गयी मौके की जांच में भारी अनियमितताऐ है क्योंकि उक्त मौका रिपोर्ट के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 को नहीं सुना गया, न ही किसी गवाह के बयान लिये गये, न ही अप्रार्थी संख्या 1 व गांव वालों से कोई पुछताछ की गयी, जो कि बिल्कुल आधारहीन है। प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय देसूरी में प्रस्तुत वाद में मौका कमिश्नर द्वारा जौ मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, वह केवल मौके की वास्तविक, भौतिक स्थिति की रिपोर्ट है, न कि किसी के कब्जे के सम्बन्ध में रिपोर्ट है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 01.08.2023 को घीसाराम पुत्र लालाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 43 के पड़ौस उत्तर दिशा में सुकली पत्नी तेजाराम अंकित है, की जानकारी अप्रार्थी को नहीं थी तथा यदि पंचायत ने गलत पड़ौस दर्ज किये है तो इस आधार पर जैर निगरानी याचिका को निर्णित नहीं किया जा सकता। साथ ही ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 1 के आवेदन पर पंचायती राज में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिनुसार है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया ने बदनियति से जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक गहनता से अवलोकन एवं अनुशीलन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत नीपल द्वारा मिसल क्रमांक 3/14–15, प्रस्ताव क्रमांक 4 दिनांक 30.10.2014 की पालना में जारी पट्टा संख्या 49 दिनांक 30.10.2014 के विरूद्ध पेश की है। वकील प्रार्थीया ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थीया ने ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 13.02.2013 को प्रार्थना पत्र मय शुल्क के प्रस्तुत किया, जिसकी पालना में मिसल संख्या 110/2012–13 कायम की गयी तथा जैर निगरानी पट्टे की सम्पूर्ण बैठक कार्यवाही में मिसल संख्या 3/14–15 के साथ–साथ मिसल संख्या 110/2012–13 का भी अंकन किया हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि मिसल संख्या 110/2012–13 की पालना में पूर्व में प्रार्थीया के पक्ष में जैर निगरानी आराजी का बुक नम्बर 84 पट्टा संख्या 24 जारी हो चुका है, जिसे ग्राम पंचायत ने कांट छांट कर पट्टा बुक से पट्टा गायब कर

अति. जिला कलेक्टर, पाली

दिया, जिसकी ताईद जिला सर्तकता समिति, पाली में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 27.10.2017 से होती है। वकील प्रार्थीया के उपरोक्त तथ्यों का खण्डन करते हुये वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि यह सही है कि जैर निगरानी पट्टे की सम्पूर्ण बैठक कार्यवाही में मिसल संख्या 3/14–15 के साथ–साथ मिसल संख्या 110/2012–13 का भी अंकन किया हुआ है परन्तु केवल मात्र अंकन से यह स्पष्ट नहीं होता कि मिसल संख्या 110/2012–13 की पालना में प्रार्थीया के पक्ष में जैर आराजी का कोई पट्टा जारी किया हुआ हो और न ही प्रार्थीया द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज पेश किये गये है। साथ ही प्रार्थीया द्वारा जिला सर्तकता समिति, पाली के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा बिना अप्रार्थी की मौजुदगी में, बिना किसी गवाहों के झुठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 12.05.2015 में प्रस्तावित भूमि के अंकित पड़ौस एवं जैर निगरानी पट्टे में अंकित पड़ौस, पूर्णरूपेण मिलान करते है जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया द्वारा जैर निगरानी आराजी मकान का ही पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 13.02.2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसका आवेदन शुल्क, मौका निरीक्षण शुल्क तथा नक्शा फीस कुल 120/– रूपये जरिये रसीद संख्या 1896 दिनांक 13.02.2013 के द्वारा ग्राम पंचायत में जमा करवाया गया, जिसकी पालना में मिसल संख्या 110/2012–13 कायम की गयी। साथ ही प्रार्थीया द्वारा सतर्कता समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पंचायत प्रसार अधिकरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 27.10.2017 के अनुसार मिसल संख्या 110/2012–13 की पालना में पट्टा बुक संख्या 84 का पट्टा संख्या 24 भर भी दिया गया जो रेकर्ड में मौजुद है, भरा हुआ पट्टा जारी नहीं करना सन्देह के दायरे में आता है तथा समस्त सबुतों के आधार पर जैर आराजी पर प्रार्थीया का कब्जा होना साबित किया है, जो भी वकील प्रार्थीया के कथनों का समर्थन करती है।

वकील प्रार्थीया ने यह भी कथन किया कि जैर आराजी पूर्व में लालाराम का पुश्तैनी थाला था एवं लालाराम के पुत्रों ने आपसी सहमति से इस थाले का बंटवारा कर दिया, जिससे उक्त थाला जेठाराम के हिस्से में आया जिसके पड़ौस उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दरवाजा, दक्षिण दिशा में घीसाराम पुत्र लालाजी के बंट का मकान, पूर्व दिशा में खंगाराराम के बंट का एवं प्रहलादसिंह का मकान एवं पश्चिम दिशा में आम रास्ता है, जिसका ग्राम पंचायत निपल द्वारा, जेठाराम के प्रार्थना पत्र दिनांक 24.11.2011 की पालना में स्वामित्व हस्तान्तरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया, उक्त भूमि पर बने मकान का जेठाराम ने अपने पुत्र सवाराम को दिनांक 21.11.2012 को बेचान कर दिया तथा बेचाणनामा दिनांक 04.12.2012 के अनुसार सवाराम ने जैर आराजी मकान का बेचाण प्रार्थीया के पक्ष में किया तथा उक्त बेचाणनामा में यह भी अंकित किया कि उक्त मकान का स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई टाईटल मुझ बेचानकर्ता के पास नहीं होने के कारण में बेचाणकर्ता रजिस्ट्री नहीं करा रहा हू, प्रार्थीया को उक्त मकान की रजिस्ट्री करवाने की जरूरत पडेगी तो मै बेचानकर्ता ग्राम पंचायत नीपल से उक्त मकान का स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त कर रजिस्ट्री करवा दुगा तथा दस रूपये के स्टाम्प पेपर पर जारी सहमति पत्र दिनांक 10.12.2012 के अनुसार भी लालाजी के पुत्रों ने जैर आराजी मकान का सवाराम को एकमात्र मालिक बताया है। वकील प्रार्थीया ने अपने कथनों के समर्थन एवं जैर आराजी मकान पर कब्जे के सम्बन्ध में चम्पालाल पुत्र हीरालाल, भंवरलाल पुत्र रूपाजी, जगदीश कुमार पुत्र आशाराम, राजाराम पुत्र अनाराम, हिम्मतसिंह पुत्र विजयसिंह,

अति. जिला कलैक्टर. पाली

अशोक कुमार पुत्र मोटाराम, शंकरलाल पुत्र कुपाराम, वेलाराम पुत्र सोमाराम, अमरसिंह पुत्र कानसिंह, प्रहलादसिंह पुत्र प्रतापसिंह के शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिसमें स्पष्ट अंकित है कि जैर आराजी मकान का प्रार्थीया ने सवाराम पुत्र जेठाराम से खरीद किया था तथा वक्त खरीद से लगातार आज दिन तक उक्त प्लॉट मय मकान पर कब्जा चला आ रहा है। वकील प्रार्थीया के उक्त कथन का विरोध करते हुये वकील अप्रार्थी ने कथन किया लालाराम की सम्पति का आपसी बंटवरे से 3 भाग उनके पुत्र एवं 1 भाग, जो कि जैर निगरानी वादग्रस्त मकान है अप्रार्थीया संख्या 1 के पक्ष में आया, जब उक्त भाग अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में आया तो जेठाराम के पक्ष में स्वामित्व हस्तान्तरण का प्रमाण पत्र जारी करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता एवं वकील अप्रार्थीया ने अपने कथनों के समर्थन में जेठाराम पुत्र लालाराम, सवाराम पुत्र जेठाराम, खंगारराम पुत्र लालाराम, घीसाराम पुत्र लालाराम, नगाराम पुत्र पुराजी, टीकमराम पुत्र वरदाराम, नगाराम पुत्र नेमाराम, मगाराम पुत्र चेलाराम, देवीसिंह पुत्र विजयसिंह, अनाराम पुत्र केसा के शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया, जिसके अनुसार जैर आराजी मकान लम्बे समय तक अप्रार्थी संख्या 1 का आधिपत्य एवं स्वामित्व रहा है, जिसमें चारों भाईयों की सहमति थी तथा वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त आराजी मकान का अप्रार्थी संख्या 3 को बेचान कर दिया है एवं जेठाराम तथा सवाराम ने अपने शपथपत्र में अंकित किया कि मुझे उक्त मकान को बेचने का अधिकार नहीं था एवं न ही मेरे द्वारा अपंजीकृत बेचाणनामा दिनांक 21.11.2012 व सहमति पत्र दिनांक 10.12.2012 निष्पादित किया है, न ही उक्त बेचाणनामें पर मेरे अगुंष्ठ निशान है। पत्रावली पर उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र परस्पर विरोधाभासी है तथा शपथ पत्र एवं अपंजीबद्व विक्रय विलेख दिनांक 21.11.2012 व सहमति पत्र दिनांक 10. 12.2012 की प्रमाणिकता को सिद्व करना न्यायालय हाजा की क्षेत्राधिकारिता में नहीं होने से इस पर किसी भी प्रकार की राय देना उचित नहीं समझते है परन्तु पंजीबद्व विक्रय विलेख दिनांक 19.08.1991 में बेचाणसुदा भूमि के पश्चिम दिशा में अंकित पड़ौस जेठा पुत्र लालाजी का थाला के तथ्य एवं ग्राम पंचायत नीपल द्वारा घीसाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 43 दिनांक 01.08.2023 में अंकित पड़ौस उत्तर दिशा में सुकली पत्नी तेजाराम वकील प्रार्थीया के कथनों को बल देते है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना प्रस्तुत किया, उसके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही आवेदन पर किसी दिनांक का अंकन है। साथ ही मिसल के संलग्न जो सहमति पत्र है, उस पर न तो किसी दिनांक का अंकन है और न ही उक्त सहमति पत्र किसी स्टाम्प पेपर अथवा नोटेरी पब्लिक से तस्दीक सुदा है, जो इसकी सत्यता पर प्रश्नचिह्न अंकित करता है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 27.06.2014, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें सचिव को पत्रावली कायम कर नक्शा तैयार कने एवं तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हे नामित नहीं किया गया। इसके

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव हैं, लिहाजा प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वे समर्थन योग्य नहीं है।

राज. पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 148(2) के अनुसार जारी आपत्ति ईश्तहार दो प्रतियों में तैयार किया जाकर उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर होने चाहिये जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 01.07.2014 को जारी आपत्ति ईश्तहार पर केवल गवाह के हस्ताक्षर है उनकी वल्दियत तथा सकुनत की कोई जानकारी नहीं है। हस्तगत प्रकरण में गवाह के बयान एक निर्धारित प्रारूप में प्रिंटेड बयानफार्म में लिये गये है, जिसमें बयानकर्ता ने अप्रार्थी के 30 वर्ष के कब्जे का कथन किया है परन्तु बयानफार्म में बयानकर्ता की उम्र ही अंकित नहीं है और न ही बयान की दिनांक अंकित है, जो बयान की सत्यता पर प्रश्नचिह्न अंकित करती है। इससे स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत नीपल द्वारा मिसल क्रमांक 3/14–15, प्रस्ताव क्रमांक 4 दिनांक 30.10.2014 की पालना में जारी पट्टा संख्या 49 दिनांक 30.10.2014 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति एवं ग्राम पंचायत का अभिलेख, ग्राम पंचायत नीपल को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 20/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली